राजस्व वाद संख्या:— 85/2023
विनोद कुमार बनाम धर्मपाल वगै0
निर्णय दिनांक:—25.06.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :—

सुमन देवी II, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.— 85/2023

विनोद कुमार पुत्र श्री रामसिंह जाति जाट निवासी श्योसिंहपुरा तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं राजस्थान

— प्रार्थी

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र मामराज जाति जाट निवासी श्योसिंहपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
2. महेन्द्र पुत्र मामराज जाति जाट निवासी श्योसिंहपुरा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान
3. शकुन्तला पुत्री रामसिंह जाति जाट निवासी श्योसिंहपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
4. सुशीला पुत्री रामसिंह जाति जाट निवासी श्योसिंहपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
5. सीता देवी पत्नी रामसिंह जाति जाट निवासी श्योसिंहपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
6. कृष्णा देवी पत्नि माईलाल जाति जाट निवासी लीखवा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
7. जगपाल पुत्र माईलाल जाति जाट निवासी लीखवा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
8. रामवती पत्नि जयरामवत्स जाति ब्राहमण निवासी समालका नई दिल्ली
9. सज्जन कुमार पुत्र माईलाल जाति जाट निवासी लीखवा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
10. दर्शना पत्नि वेदप्रकाश जाति जाट निवासी दादरी तोय तहसील व जिला झज्जर हरियाणा
11. नीलम पत्नि देवेन्द्र जाति जाट निवासी लाडपुर तहसील व जिला झज्जर हरियाणा
12. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा डुलानिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान जरिये शाखा प्रबन्धक
13. पंजाब नेशनल बैंक शाखा चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राजस्थान जरिये शाखा प्रबन्धक
14. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा डुलानिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान जरिये शाखा प्रबन्धक

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्या:– 85 / 2023
विनोद कुमार बनाम धर्मपाल वगै0
निर्णय दिनांक:– 24.06.2025

15. राजस्थान सरकार (भूमिधारी) तहसीलदार सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं राजस्थान

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) की उप धारा (1)
राजस्थान काष्तकारी अधिनयम

–:: निर्णय ::–

दिनांक – .06.2025

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

यह कि प्रार्थी की भूमि ख0न0 5 में बने पुख्ता कुआं व रिहायशी मकानात में आने जाने बाबत वाहन, उॅट गाड़ा, ट्रैक्टर, मवेशी आदि को लाने ले जाने बाबत खसरा नं. 1 रकबा 0.89 है0 के उत्तरी सीमा के सहारे सहारे पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर 12 फुट चौड़ा रास्ता खसरा नं. 5 रकबा 5.16 है0 में जाने के लिये नजरी नक्शा दर्शित मार्क ए बी सी के अनुसार रास्ता घोषित किया जाना फरमाया जावे तथा रास्ते में जाने वाली भुमि को रहन मुक्त घोषित फरमाया जावे तथा तहसीलदार सूरजगढ़ को उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद दर्ज किये जाने के आदेश दिया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तामील जरिये सम्मन जारी की गयी। अप्रार्थी संख्या 11 की और से श्री संदीप मान एड0 ने वकालतनामा पेष किया तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10, 13 लगायत 15 की और से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण इनके खिलाफ एक पक्षीये कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2074–77, नक्षा ट्रेस, तहसीलदार पिलानी की मौका रिपोर्ट।

बहस सुनी गई

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। भू अभिलेख निरिक्षक की मौका रिपोर्ट दिनांक 11.07.2023 का अवलोकन किया गया जिसमें बताया गया की ग्राम लिखवा में खसरा नं. 568 आवेदक के स्वयं की शामलाती खातेदारी भूमि है जो डुलानिया लीखवा सड़क से सटी हुई है। ख.नं. 1 श्योसिंह पुरा में स्थ्वित है तथा ख.नं. 5 ग्राम श्योसिंहपुरा आवेदक के स्वयं की शामलाती

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

खातेदारी दर्ज है जिसमें आवेदक के मकान बने हुए हैं यहां तक पहुचनें हेतू रास्ता दिया जाना प्रस्तावित हैं।

प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्तें में आने वाली भूमि से संबंधित खाते के समस्त काश्तकारान को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा उस भूमि में पूर्व में कोई स्वीकत सुदा रास्ता नहीं लगता है प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता जो मौके पर चालू हो नहीं है तथा अन्य कोई कम दूरी का रास्ता नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता पिछले लगभग 40 वर्षों से प्रचलित है तथा वर्तमान में भी मौके पर चालू है।

प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से दर्षाया गया है। जो ख.न. 1 में 84 मी. लम्बा 3 मी. चौड़ा है जिसका क्षेत्रफल 252 वर्ग मीटर। कुल भूमि क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर है। प्रस्तावित रास्ते के लिये प्रस्तावित कुल भूमि का क्षेत्रफल 720 वर्गमीटर कम होगा।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। इस प्रकार न्यायालय तहसीलदार सूरजगढ़ की रिपोर्ट दिनांक 11.07.2023 के साथ पेश नजरी नक्शा में दर्शित ख0 न0 1 की उत्तरी सीमा के सहारे—सहारे नजरी नक्शे के अनुसार ख.न. 1 में 84× 3, 252 वर्ग मीटर में नया रास्ता कुल भूमि क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर कायम किया जाना न्यायोचित पाता है तथा उक्त रास्ते को खसरा नं. 568 की दक्षिणी सिमा के सहारे सहारे आवेदक की भूमी से 3 मीटर रास्ता कायम किया जाकर लीखवा से डुलानिया मुख्य सड़क तक रास्ता कायम किया जाना उचित है।

—:: आदेश::—

भूमि खेत खसरा न0 05 रकबा 5.16 है0 वाके मौजा श्योसिंहपुरा तहसील सूरजगढ में चाहे गये रास्ते के लिए भू अभिलेख निरिक्षक बनगोठड़ी कलां की रिपोर्ट दिनांक 11.07.2023 के अनुसार ख0 न0 1 की उत्तरी सीमा के सहारे—सहारे नजरी नक्शे के अनुसार ख.न. 1 में 84× 3, 252 वर्ग मीटर में नया रास्ता कुल भूमि क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर कायम किया जाना न्यायोचित पाता है। तहसीलदार पिलानी को आदेशित किया जाता है कि व उक्त भूमि की डी.एल.सी. दर के मुताबिक ख.नं. 1 की 252 वर्गमीटर भूमि की राशि की दुगनी राशि आवेदकगण से जमा की जाकर भूमि ख.नं. 1 के खातेदारों को भुगतान किये जाने की कार्यवाही कर मौकें पर जाकर रास्ता खुलवाये। उक्त रास्ते को खसरा नं. 568 की दक्षिणी सिमा के सहारे सहारे आवेदक की भूमी से 3 मीटर चौड़ा रास्ता कायम किया जाकर लीखवा से डुलानिया मुख्य सड़क तक रास्ता कायम जाये। चुंकी खसरा नं. 568 आवेदक की स्वयं की खातेदारी भूमि है अतः इस हेतु कोई भुगतान नहीं किया जावेंगा। रास्ते में स्थित पेड़ वगैरह को हटवाये जाने का हर्जा खर्चा आवेदकगण द्वारा वहन किया जावेगा। तहसीलदार पिलानी को आदेशित किया जाता है कि वह राशि जमा होने पर आदेशानुसार रास्ते को गै0मु0 रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः— 85 / 2023
विनोद कुमार बनाम धर्मपाल वगै0
निर्णय दिनांकः— 25.06.2025

कायम कर पृथक से खसरा नम्बर व रकबा कायम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। भू अभिलेख निरिक्षक बनगोठड़ी कलां की रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगा।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 25.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास में सुनाया गया।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़